श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर - 452007
दूरभाष : 0731-2432822, फैक्स: 0731-2536600
ईमेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://shramsewa.mp.gov.in

क्र.LCMP/IT/100/2022/ 51549-601, इंदौर, दिनांक: 26-12-2022

प्रति,

समस्त उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी/
सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक – मध्यप्रदेश

विषयः- श्रम सेवा पोर्टल पर ऑन-लाईन होने के लिए शेष सेवाओं में 31 दिसंबर को वैधता समाप्त होने वाले अनुज्ञप्तियों तथा पंजीयनो के नवीनीकरण हेतु आवेदनों के प्रेषण के संबंध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्रम सेवा पोर्टल पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की सुविधा को विकसित किया जा रहा है, जिसको क्रमबद्ध तरीके से एक-एक कर ऑन-लाईन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में निम्नवत सेवाओं हेतु आवेदन करने की सुविधा के विकास एवं उपलब्धता मे 1 माह से अधिक समय व्यतीत होने की संभावना है:-

1. ठेका श्रमिक अधिनियम के अधीन 2022 में अनुज्ञप्त प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।
2. अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण,
3. अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोक्ता के पंजीयन का नवीनीकरण,
4. मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीयन का नवीनीकरण
5. बीडी सिगार कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत 2022 में अनुज्ञप्त प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

उक्त स्थिति को ध्यान मे रख्ते हुए समस्त संबंधितो को निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित है:-

1. उपर्युक्त सेवाओ मे ऑन-लाईन आवेदन करने की सुविधा पूर्व में एन.आई.सी द्वारा संचालित पोर्टल में प्राप्त आवेदनो तथा वर्तमान श्रम सेवा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनो के लिए पृथक पृथक रहेगी, जो एक ही इंटर्फेस पर उपलब्ध होगा।
2. चूकि उक्त सेवाओ हेतु आवेदन करने के लिए सॉफ्टवेयर मोड्यूल्स एमपी ऑनलाइन द्वारा विकसित किये जा रहे है जिनकी 31 दिसंबर तक ऑन-लाईन उपलब्ध होने की संभावना कम होने के कारण **ये सेवाएँ ऑन-लाईन होने के दिनांक से 90 दिवस तक** पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को **"विलंब से प्रेषित आवेदन" नही माना जाएगा।** अतः उन आवेदनो के विलंब के लिए आवेदक उत्तरदायी नही रहेगा।

अतः उक्तानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आवेदनो का निराकरण ऑन-लाईन ही किया जावे। किसी भी आवेदन का निष्पादन ऑफ-लाईन नही किया जाए।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रमायुक्त
मध्य प्रदेश, इंदौर

क्र.LCMP/IT/100/2022/ 51602-3,

इंदौर, दिनांक: 26-12-2022

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर, एम.पी. ऑन-लाईन भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की पंजीयन एवं लाइसेंस की वैधता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली उपर्युक्त सेवाओं के आवेदन करने की सुविधा यथा संभव 31 दिसंबर तक विकसित कर ऑन-लाईन करें। विलंब की सूचना नागरिकों को पोर्टल पर उपलब्ध कराएँ ताकि आवेदकों को असुविधा ना हो।

श्रमायुक्त
मध्य प्रदेश, इंदौर